विविध बैंक प्रकरण संख्या 29/2021.(GCMS : 2021/93) भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री श्याम सुंदर अरोड़ा (शाखा रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स श्री राजेन्द्रा** मेटल वर्क्स – प्रो. श्री **रविन्द्र कुमार** पुत्र गौरी शंकर निवासी मकान नं. 188–189, गांधी नगर, गली नं. 05, श्रीगंगानगर (राज.) **2. रूकमणी देवी पत्नी** राजेन्द्र कुमार निवासी मकान नं. 188–189, गांधी नगर, गली नं. 05, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण राजेन्द्र मेटल वर्क्स – प्रो. रविन्द्र कुमार एवं रूक्मणी देवी को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 23.07.2012 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रूकमणी देवी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 189 (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 ए छोटी, गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर एवं दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तिया प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.02.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। प्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 05.03.2020 को 15,16,257/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 06.03.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण मैसर्स राजन्द्र मेटल वर्क्स – प्रो. रविन्द्र कुमार एवं रूक्मणी देवी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.03.2020 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी रूकमणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 189 (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 ए छोटी, गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर एवं दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स राजेन्द्र मेटल वर्क्स – प्रो. रविन्द्र कुमार एवं रूकमणी देवी को 15.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 23.07.2012 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी रूकमणी देवी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 189 (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 ए छोटी, गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर एवं दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तियां प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **27.02.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 06.03.2020 को जारी किये गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.03.2020 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.03.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.03. 2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.03.2020 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी रूकमणी देवी द्वारा अपनी रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. [illegible] (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 (छोटी), गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर एवं दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैं[illegible] ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तियां जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है किन्तु तथा पत्रावली में उपलब्ध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर मैसर्स राजेन्द्र मैटल वर्क्स के प्रो. का नाम राजेन्द्र कुमार अंकित है जबकि हस्ताक्षर रविन्द्र कुमार के है और दृष्टि बंधक स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपत्तियों का पत्रावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त दृष्टि बंधक स्टॉक का कब्जा प्रार्थी बैंक को नहीं दिलवाया जा सकता है किन्तु ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी रूकमणी देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 रूकमणी देवी की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 189 (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 ए छोटी, गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर की हद तक स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी रूकमणी देवी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 189 (क्षेत्रफल 2145 वर्गफुट), किल्ला नं. 25, मुरब्बा नं. 38/47, चक 1 ए छोटी, गली नं. 05, गांधी नगर, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested